राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6)विभाग

क्रमांक प.3 (17)राज.6/2021 | 90 जयपुर, दिनांक- 30.9.2021

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 15, वर्ष 1956) की धारा 26 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 260 उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1955) की धारा 251 एवं अधिसूचना क्रमांक 5(21) राज-4/80/34 दिनांक 14.9.1982 के तहत मार्गाधिकार या अन्य सुखाचार के वास्तविक उपयोग में विघ्न डाले जाने के मामलों को निर्णित करने की ग्राम पंचायत की शक्तियां ग्राम पंचायत के स्थान पर तहसीलदार/नायब तहसीलदार जिनको 'प्रशासन गांव के संग अभियान-2021' के लिये नियुक्त किया गया है, को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु एतद्द्वारा प्रदत्त करती है।

यह अधिसूचना 'प्रशासन गांव के संग अभियान-2021' की अवधि दिनांक 02.10.2021 से 17.12.2021 तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

30/09/2021
(रामचरन शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशेषाधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
7. आयुक्त, भू-प्रबंध एवं जागीर, जयपुर।
8. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
10. सूचना जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
11. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र के विशेषांक दिनांक......30/9/2021.में प्रकाशन हेतु।
12. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।

30/09/2021
शासन उप सचिव